तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
5.11.2018	अपीलाण्ट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलाण्ट द्वारा एक अपली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) के विरूद्ध सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण न्यायालय में पेश की। अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) को भेजते हुऐ अपील में अंकित तथ्यों के सम्बंध में टिप्पणी चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.8.18 को टिप्पणी भेजते हुए प्रतिलिपी अपीलाण्ट को उपलब्ध कराई। जिससे अपीलाण्ट संतुष्ट नहीं हुआ एवं दिनांक 4.9.18 को आपत्ति प्रस्तुत की तथा दिनांक 23.10.18 को लिखित बहस पेश की। अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की मौखिक बहस सुनी गई अपीलाण्ट ने अपनी मौखिक बहस के द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) पर विभिन्न तरह के आरोप लगाये है। तथा अति0 जिला कलक्टर की शिकायत की गई है। सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में बहस के दौरान कोई कथन नहीं किया है। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जो सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है वही सूचना लोक सूचना अधिकारी उपलब्धक करा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा जिन 7 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है। वह सभी बिन्दू प्रश्नवाचक है। इनकी सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में **प्रशासनिक सुधार एंव** **समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.** **02.2009 के बिन्दू संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि," सूचना अधिकार** **अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या** **सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का** **समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।** **अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो** **लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलाण्ट द्वारा जिन 7 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है वह प्रश्नात्मक है। **प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग** **(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दू**	

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

	संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि," सूचना अधिकार अधिनियम के अन्त लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।" अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व मौखिक बहस में यही तथ्य उभरकर सामने आये है कि अपीलाण्ट द्वारा अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के शिकायत की है तथा आरोप प्रत्यारोपित किये है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह सही है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावें। (नन्नूमल पहाड़िया) जिला कलक्टर धौलपुर